ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(2)(1)रोल/निर्वा/2015/पार्ट–II/ NERP/3079 जयपुर, दिनांक 8.8.2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान – 2016 अभियान के दौरान आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 2999 दिनांक 02.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2999 दिनांक 02.08.2016 के द्वारा मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान 2016 के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों यथा 6, 7, 8, 8क का निस्तारण दिनांक 08 अगस्त, 2016 तक ऑनलाईन ईआरएमएस के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए है। इस विषय में दिनांक 03 अगस्त, 2016 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में भी आपको अवगत कराया गया है। इस क्रम में यह भी अवगत कराया गया है कि इसके पश्चात् यदि आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है तो ईआरएमएस अपलोडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेंगी जिससे कि ऑफलाईन/ऑनलाईन पद्धति से निस्तारण से शेष रहे आवेदन पत्रों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ना, संशोधन आदि नहीं हो सकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रहेगी।

2. जैसा कि आपको विदित है कि संदर्भ तिथि 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी। विभाग स्तर पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सम्भवतः दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को किया जाएगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पैरा 1 के अनुसार आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए अन्तिम तिथि 08 अगस्त, 2016 निर्धारित की गई है। ताकि इसके पश्चात् विभाग की एस.एल.ए. मैसर्स रील द्वारा प्रारूप प्रकाशन हेतु बनाए गए सॉफटवेयर के आधार पर मूल मतदाता सूची 2014 एवं पूर्व से उपलब्ध 6 पूरक सूचियॉ एवं अभियान के दौरान तैयार की गई पूरक सूची–7 को सम्मिलित करते हुए एकीकरण की कार्यवाही की जा सके।

3. विभिन्न आवेदन पत्रों के निस्तारण की आदिनांक रिपोर्ट ईआरएमएस से आज दिनांक 08.08.2016 को निकाली गई तो यह स्पष्ट हुआ कि लगभग सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आवेदन पत्रों का शत–प्रतिशत निस्तारण नहीं किया गया है। (प्रति संलग्न) सभी आवेदन पत्रों का आज देर रात तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। इस एकीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप जिला स्तर पर अनुबधित फर्म के माध्यम से ड्राफट मतदाता सूची की चैकलिस्ट का प्रिन्ट लिया जाकर इसकी गहन जॉच की जानी होगी ताकि राष्ट्रीय अभियान 2016 के अन्तर्गत किए गए कार्यो के अनुसार

प्रारूप मतदाता सूची की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर जॉच की जाकर साफ–सुथरी एवं त्रुटिरहित प्रारूप मतदाता सूची 2017 का प्रकाशन निर्धारित दिनांक को किया जा सके।

4. मतदाता सूचियों के राष्ट्रीय अभियान 2016 के दौरान जिन नए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण मतदाता सूची में किया गया है या प्ररूप 8 के माध्यम से जिन मतदाता के फोटों नहीं है उनके फोटों मुद्रित किए जाएगे अथवा संशोधित किए जाएगे तथा ऐसे मतदाता जिन्हें एक ही कमांक के एकसे अधिक मतदाता फोटों पहचान पत्र जारी किए जा रहे है तथा जॉच के बाद जिस मतदाता को नया मतदाता फोटों पहचान पत्र जारी किया जाना है उसकी संख्या को सम्मिलित करते हुए कृपया विभाग को अवगत कराए कि मतदाता फोटों पहचान पत्रों के कितने पीवीसी कार्ड की आवश्यकता होगी ताकि तद्नुसार विभाग स्तर से पीवीसी शीट का आवंटन किया जा सके।

5. चूँकि दिनांक 08 अगस्त, 2016 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में विभिन्न स्रोत्रों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना है, इसलिए 08 अगस्त, 2016 के तुरन्त बाद संलग्न **परिशिष्ट 'ए'** में आवेदन पत्रों के निस्तारण के विषय में सूचना दिनांक 12 अगस्त, 2016 तक विभाग को भिजवाया जानाा सुनिश्चित किया जाए।

6. मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण अभियान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ECI-NET पर विभिन्न बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही के अनुसार ऑनलाईन सूचना का अंकन किया जाना है। इसके साथ–साथ मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों की केड (CAD) डिजाईनिंग तैयार कर अपलोड भी की जानी है। इस हेतु तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी तथा इसके साथ–साथ सॉफटवेयर की आवश्यकता होगी। उक्त सॉफटवेयर के विषय में विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है। जहॉ तक तकनीकी कर्मी उपलब्ध कराने का प्रश्न है के विषय में अनुरोध है कि आप जिला स्तर पर नगर सुधार विकास प्राधिकरण न्यास, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग जहॉ पर कि केड (CAD) डिजाईनिंग का कार्य किया जाता है वहॉ से भी दक्ष तकनीकी कर्मचारी की सेवाएँ अधिग्रहित कर उक्त कार्य समय पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस विषय में उल्लेखनीय है कि इस विषय में उक्त कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा 50 प्रतिशत तक मतदान केन्द्रों की कैट डिजाईनिंग तैयार भी करवा ली गई है।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(राजेश यादव)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

C:\DESTOP\NERP.DOC

परिशिष्ट 'ए'

जिले का नाम ——————

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या								कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या
		प्ररूप 6		प्ररूप 7		प्ररूप 8		प्ररूप 8 क			
		प्राप्त	निस्ता.	प्राप्त	निस्ता.	प्राप्त	निस्ता.	प्राप्त	निस्ता.		

C:\DESTOP\NERP.DOC